रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062021-227722
CG-DL-E-19062021-227722

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, शनिवार, जून 19, 2021/ज्येष्ठ 29, 1943
No. 339] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19, 2021/JYAISTHA 29, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

सा.का.नि. 423(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में नियम 19 के उपनियम (2) के खंड (ख),-

(1) के उपखंड (iii) में,-

(i) "चार हजार करोड़ रुपए से अधिक" शब्दों के पश्चात् "किंतु एक लाख करोड़ रुपए से कम या बराबर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपखंड (iii) के पश्चात् और परन्तुकों के पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) कंपनी द्वारा निर्गम किए गए साम्य शेयरों के प्रत्येक वर्ग या किस्म या साम्य शेयरों में संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के साम्य शेयरों में कम से कम ऐसा प्रतिशत जो पांच हजार करोड़ रुपए के मूल्य के समतुल्य हो और ऐसे साम्य शेयरों के प्रत्येक वर्ग या किस्म या कंपनी द्वारा निर्गम किए गए साम्य शेयरों में संपरिवर्तनीय डिबेंचर का कम से कम पांच प्रतिशत, यदि निर्गम पश्च कंपनी की निर्गम पूंजी की संगणना प्रस्ताव मूल्य पर की जाती है, जो एक लाख करोड़ रुपए से अधिक है:

परंतु इस उपखंड (iv) में निर्दिष्ट कंपनी प्रतिभूतियों के सूचीबद्ध करने की तारीख से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में अपनी लोक शेयर धृति को दो वर्ष की कालावधि के भीतर दस प्रतिशत तक बढ़ाएगी और पांच वर्ष की कालावधि के भीतर कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाएगी ; ";

(iii) तीसरे परंतुक में "परन्तु यह भी कि" शब्दों के पश्चात् "खंड (ख) में निर्दिष्ट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) नियम 19क के उपनियम (5) में,-

(i) परंतुक में "अठारह" शब्द के स्थान पर "बारह" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कम से कम पांच प्रतिशत लोक शेयर धृति बनाए रखेगी।"।

[फा. सं. 5/35/सीएम/2006-वाल्यूम III]

ए.एम.बजाज, अपर सचिव (वित्तीय बाजार)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 576, तारीख 21 फरवरी, 1957 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधित किए गए :-

(i) सा.का.नि. 1096, तारीख 14 जुलाई, 1967 ;
(ii) सा.का.नि. 685, तारीख 3 जून, 1972 ;
(iii) सा.का.नि. 959, तारीख 8 अगस्त, 1972 ;
(iv) सा.का.नि. 2641, तारीख 1 नवम्बर, 1975 ;
(v) सा.का.नि. 1083, तारीख 11 नवम्बर, 1985 ;
(vi) सा.का.नि. 666(अ), तारीख 20 जुलाई, 1987 ;
(vii) सा.का.नि. 1070(अ), तारीख 15 नवम्बर, 1985 ;
(viii) सा.का.नि. 870(अ), तारीख 13 नवम्बर, 1992 ;
(ix) सा.का.नि. 617(अ), तारीख 20 सितम्बर, 1993 ;
(x) सा.का.नि. 749(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 1994 ;
(xi) सा.का.नि. 790(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1994 ;
(xii) सा.का.नि. 121(अ), तारीख 9 मार्च, 1995 ;
(xiii) सा.का.नि. 291(अ), तारीख 27 मार्च, 1995 ;
(xiv) सा.का.नि. 581(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 1996 ;
(xv) सा.का.नि. 654(अ), तारीख 8 अगस्त, 2000 ;
(xvi) सा.का.नि. 655(अ), तारीख 8 अगस्त, 2000 ;
(xvii) सा.का.नि. 415(अ), तारीख 7 जून, 2001 ;

(xviii) सा.का.नि. 696(अ), तारीख 28 अगस्त, 2003 ;

(xix) सा.का.नि. 395(अ), तारीख 10 जून, 2009 ;

(xx) सा.का.नि. 469(अ), तारीख 4 जून, 2010 ;

(xxi) सा.का.नि. 662(अ), तारीख 9 अगस्त, 2010 ;

(xxii) सा.का.नि. 705(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2013 ;

(xxiii) सा.का.नि. 21(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 ;

(xxiv) सा.का.नि. 611(अ), तारीख 22 अगस्त, 2014 ;

(xxv) सा.का.नि. 682(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2014 ;

(xxvi) सा.का.नि. 819(अ), तारीख 19 नवम्बर, 2014 ;

(xxvii) सा.का.नि. 125(अ), तारीख 26 फरवरी, 2015 ;

(xxviii) सा.का.नि. 268(अ), तारीख 20 मार्च, 2017 ;

(xxix) सा.का.नि. 664(अ), तारीख 28 जून, 2017 ;

(xxx) सा.का.नि. 822(अ), तारीख 3 जुलाई, 2017

(xxxi) सा.का.नि. 675(अ), तारीख 25 जुलाई, 2018 ;

(xxxii) सा.का.नि. 738(अ), तारीख 3 अगस्त, 2018 ;

(xxxiii) सा.का.नि. 189(अ), तारीख 19 मार्च, 2020 ; और

(xxxiv) सा.का.नि. 485(अ), तारीख 31 जुलाई, 2020

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

G.S.R. 423(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely:—

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, in rule 19, in sub-rule (2), in clause (b),-

   (1) in sub-clause (iii), -

   (i) after the words "four thousand crore rupees", the words "but less than or equal to one lakh crore rupees" shall be inserted;

   (ii) after sub-clause (iii) and before the provisos, the following shall be inserted, namely –

   "(iv) at least such percentage of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company equivalent to the value of five thousand crore rupees and at least five per cent of each such class or kind of equity shares or debenture convertible into equity shares issued by the company, if the post issue capital of the company calculated at offer price is above one lakh crore rupees;

   Provided that the company referred to in this sub-clause (iv) shall increase its public shareholding to at least ten per cent within a period of two years and at least twenty-five per cent. within a period of five

years, from the date of listing of the securities, in the manner specified by the Securities and Exchange Board of India;";

(iii) in the third proviso, after the words "applicant company", the words "referred to in clause (b)" shall be inserted;

(2) in rule 19A, in sub-rule (5), -

(i) in the proviso, for the word "eighteen", the word "twelve" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided further that, every listed company shall maintain public shareholding of at least five per cent. as a result of implementation of the resolution plan approved under section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.".

[F. No. 5/35/CM/2006-Volume III]

A. M. BAJAJ, Addl. Secy. (Financial Markets)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 vide number S.R.O. 576, dated the 21st February, 1957 and subsequently amended vide numbers as under:

(1) G.S.R 1096, dated the 14th July, 1967;
(2) G.S.R. 685, dated the 3rd June, 1972;
(3) G.S.R. 959, dated the 8th August, 1972;
(4) G.S.R. 2641, dated the 1st November, 1975;
(5) G.S.R. 1083, dated the 11th November, 1985;
(6) G.S.R. 666(E), dated the 20th July, 1987;
(7) G.S.R. 1070(E), dated the 15th November, 1988;
(8) G.S.R. 870(E), dated the 13th November, 1992;
(9) G.S.R. 617(E), dated the 20th September, 1993
(10) G.S.R. 749(E), dated the 12th October, 1994;
(11) G.S.R. 790(E), dated the 7th November, 1994;
(12) G.S.R. 121(E), dated the 9th March, 1995;
(13) G.S.R.291(E), dated the 27th March, 1995;
(14) G.S.R. 581(E), dated the 23rd December, 1996;
(15) G.S.R. 654(E), dated the 8th August, 2000;
(16) G.S.R. 655(E), dated the 8th August, 2000;
(17) G.S.R. 415(E), dated the 7th June, 2001;
(18) G.S.R. 696(E), dated the 28th August, 2003;
(19) G.S.R. 395(E), dated the 10th June, 2009;
(20) G.S.R. 469(E), dated the 4th June, 2010;
(21) G.S.R. 662(E), dated the 9th August, 2010;
(22) G.S.R.705 (E), dated the 25th October, 2013;
(23) G.S.R. 21(E), dated the 16th January, 2014;
(24) G.S.R.611 (E), dated the 22nd August, 2014;
(25) G.S.R.682 (E), dated the 22ndSeptember, 2014;
(26) GSR. 819(E), dated the 19th November, 2014;
(27) G.S.R. 125(E), dated the 26th February, 2015;
(28) G.S.R. 268(E), dated the 20th March, 2017;
(29) G.S.R. 664(E), dated the 28th June, 2017;
(30) G.S.R. 822(E), dated the 3rd July, 2017;
(31) G.S.R 675(E), dated the 25thJuly, 2018;
(32) G.S.R. 738(E), dated the 3rd August, 2018;
(33) G.S.R. 189(E), dated the 19th March, 2020, and
(34) G.S.R. 485(E), dated the 31st July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.19 16:22:42 +05'30'